

23/9/16

दकील वादिया एवं स्वयं वादिया तथा वकील प्रतिवादीगण अनुपस्थित।
उन्हे आवाजे लागवये पर कोई उपस्थित नहीं आया। इजलास उठते
उठते पुनः आवाजे लागवई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं आया।
इस पर उपस्थित फैरोकार प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने वाद अदम फैरवी
में खारिज करने का निवेदन किया। निवेदन स्वीकार किया जाता
है वाद वादिया अदम फैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता
है मिसल फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम है। वाद लागू नही
दारिदल फल ले।

उपखण्ड अधिकारी

मसूदा (अजमेर)

